न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 93/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. लल्लू पुत्र छतरू जाति मेव निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर – मृतक
   1/1. बत्तन पुत्र लल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।
   1/2. भिन्नू पुत्र लल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।
   1/3. भुट्टू पुत्र लल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।
   1/4. जैतूनी पुत्री लल्लू पत्नि शैरू निवासी साधूका जिला अलवर ।
   1/5. जमीला पुत्री लल्लू पत्नि उमर निवासी बेरला तहसील तिजारा जिला अलवर ।
   1/6. नसरी पुत्री लल्लू पत्नि हारून निवासी हमीराका तहसील तिजारा जिला अलवर
   1/7. जरीना पुत्री लल्लू पत्नि समसू निवासी चिरखाना तहसील अलवर जिला अलवर राज0
2. भगसिंह पुत्र छतरू जाति मेव निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. मांझासिंह पुत्र हुन्दा सिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर – मृत
   1/1. शांतिकौर पत्नि मांझासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।
   1/2. मोहनसिंह पुत्र मांझासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।
   1/3. अवतारसिंह उर्फ तारूसिंह पुत्र मांझासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर – मृतक
   1/3/1. श्रीमती बलविन्दर कौर पत्नि स्व0 श्री अवतारसिंह उर्फ तारूसिंह जाति लबाना सिक्ख,

1/3/2. जोगेन्द्रसिंह,
1/3/3. परमजीत सिंह पुत्रान स्व0 श्री अवतारसिंह उर्फ तारूसिंह,
1/3/4. मनप्रीत सिंह पुत्री स्व0 अवतारसिंह उर्फ तारूसिंह जातियान लबाना सिक्ख निवासीयान ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर हाल आबादी 20/269 कल्याणपुरी, दिल्ली ।
1/4. श्रीमती कमला कौर पुत्री मांझासिंह लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।
1/5. श्रीमती रजनी कौर पुत्री मांझासिंह जाति लबाना सिक्ख,
1/6. पुष्पा कौर पुत्री मांझासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासीयान ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री उमेश कोशिक अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री रामसिंह यादव अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–22.02.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.8.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 1494/3–19 वाके ग्राम मांचा पर वादीगण का पिता छतरू अरसा दराज से बहैसियत काश्तकार काबिज वो दाखिल था और उसकी मृत्यु के बाद वादीगण लगातार काबिज व दाखिल चले आ रहे हैं । मौके पर वास्तविक कब्जा है, लगान अदा कर रहे हैं । मौका की काश्त का इन्द्राज खसरा गिरदावरी सम्वत् 2030 से निरन्तर बहक वादीगण हो रहा है । वादीगण का कब्जा करीब 35 साल पुराना है । वादीगण के पिता फौत हो चुके हैं जिसके वारिस काबिज विवादित आराजी वादीगण है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत वादीगण को स्वतः ही हकूक खातेदारी हासिल हो चुके हैं । विवादित आराजी पर वादीगण का लगातार कब्जा प्रतिवादी की जानकारी में 12 साल से चला आ रहा है । इसलिए भी कानूनन वादीगण को विवादित आराजी पर हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके हैं । विवादित आराजी पर प्रतिवादी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त मौके पर नहीं है । प्रतिवादी गैर काबिज है । राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादी की खातेदारी का इन्द्राज मौका की काश्त व कानून के विपरीत हो रहा है । प्रतिवादी के पक्ष में राईट्स में खातेदारी का इन्द्राज बदस्तुर रहने से वादीगण के निहित हकूक खातेदारी विवादित आराजी में बुरा असर पड़ता है । अतः वादीगण राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम खातेदारी का इन्द्राज कराने के अधिकारी है । इसलिए वादीगण का वाद डिक्री किया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा

दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया लेकिन प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । इसलिए उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 13.08.2007 को वाद वादी खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 13.08.2007 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

बहस में अपीलांट अभिभाषक ने कथन किया कि साक्ष्य से यह तथ्य पूर्ण रूपेण साबित था कि विवादित आराजी ख0 नं0 1494 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम मांचा वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । वादीगण की साक्ष्य से यह तथ्य भी पूरी तरह से साबित है कि विवादित आराजी पर गत तेतीस वर्ष से अधिक समय से वादीगण का कब्जा काश्त है जिसकी पूरी जानकारी प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को है । वादीगण के लिए कब्जे की तिथि बताना कतई आवश्यक नहीं है बल्कि कब्जा 33 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादी/रेस्पो0 की जानकारी में बिना रोकटोक के होना साबित है ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा मुखालफाना होना पूर्णतया साबित है । सम्वत् 2033 के बाद कागजात माल में वादीगण का कब्जा काश्त दर्ज होना ना तो सम्भव था एवं ना आवश्यक था । प्रतिवादी/रेस्पे0 ने ना तो कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं ना कोई साक्ष्य प्रस्तुत की उसके बावजूद भी वाद खारिज करने में तहत न्यायालय ने भारी भूल की है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है ।

प्रतिउत्तर में रेस्पो0 अभिभाषक ने विवादित आराजीयात रेस्पो0 को किस प्रकार से प्राप्त हुई है तथा किस प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं । इसकी विस्तृत व्याख्या की है । बहस जवाब में कहा कि विवादित आराजी के रेस्पो0 वर्तमान में रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारी अनुपस्थिति में भी वाद वादी सही खारिज किया है क्योंकि वादीगण/अपीलांट का खातेदारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं बनता है ।

खसरा गिरदावरी में सम्वत् 2030 में वादीगण/अपीलांट का नाम दर्ज होने पर बहस जवाब में कहते हैं कि जमाबन्दी के विपरीत इन्द्राजों के आधार पर किसी विवाद का समाधान नहीं होता है । ये रेकार्ड ऑफ राईट की श्रेणी में नहीं आते हैं । गिरदावरी का हवाला देते हुए भी कहा कि किसी दीगर व्यक्ति जो कि जमाबन्दी से भिन्न हैं, के नाम काश्त यदि दर्ज है तो विलेज डायरी में राजस्व कर्मियों को यह उल्लिखित करना पड़ेगा कि इन्द्राज क्यों बदल रहे हैं । इस संबंध में कानूनी नजीरों आर.आर.डी. 1960 पेज 162, आर.आर.डी. 1956 पेज 177, आर.आर.डी. 1959 पेज 173 का हवाला दिया ।

बहस जवाब में रेस्पो0 अभिभाषक ने यह भी बताया कि खातेदारी अधिकार किस प्रकार से प्राप्त किये जा सकते हैं । काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है । उनसे भिन्न प्रकिया से केवल बयनामा, वसीयत, दानपत्र से खातेदारी प्राप्त हो

सकती है । अपीलांट को तो किसी भी प्रकार से खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती है । इस संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक ने कानूनी नजीर ए.आई.आर. 2015 पेज 179 (तारा बनाम राज्य सरकार), आर.आर.डी. 2011 पेज 529 (जगदीश बनाम सीताराम व अन्य) का विस्तृत विवेचन किया । साथ ही राजस्थान लैण्ड रिफोमर्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 232 का विवेचन किया ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने तहत न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया तथा कहा कि कब्जा मुखालफाना से कोई खातेदारी अधिकार नहीं मिलते हैं । अपील अपीलांट खारिज करने की इस्तदुआ की ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । उभयपक्षों के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

उक्त कानूनी नजीरों में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया है कि खातेदारी अधिकार किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं । उससे भिन्न तरीके से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं । माननीय उच्चतर न्यायालयों के निर्णयों से अधीनस्थ न्यायालय बाउण्ड होता है । इसलिए अधीनस्थ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2007 सही है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास का निर्णय व डिक्री दि0 13.08.2007 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/2/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर